

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**

**LOK SABHA**

**UNSTARRED QUESTION NO. 1176  
TO BE ANSWERED ON 06.12.2021**

**INCREASE IN MINIMUM WAGES**

**1176. DR. G. RANJITH REDDY:**

**SHRI VENKATESH NETHA BORLAKUNTA:**

**SHRI PASUNOORI DAYAKAR:**

**SHRIMATI KAVITHA MALOTHU:**

**Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:**

- (a) whether the Ministry justifies deferring mandatory increase in minimum wages for a year;**
- (b) whether it impacts 150 million workers and if so, the details thereof; and**
- (c) whether this results in loss of Rs. 7,500 crores to workers who otherwise would have got this amount as a part of hike in minimum wages?**

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT  
(SHRI RAMESWAR TELI)**

**(a) to (c): There is no deferring of revision of minimum wages in the Central sphere. The Central Government revises the basic rates of minimum wages for employees engaged in Scheduled employments in the Central Sphere every 5 years as stipulated under section 3 (1) (b) of the Minimum Wages Act, 1948. The basic rate of minimum wages for the scheduled employments in the Central sphere was last revised in 2017. Further, in order to protect the minimum wages against inflation, the Central Government revises the Variable Dearness Allowance (V.D.A) on basic rates of minimum wages every six months effective from 1st April and 1st October every year on the basis of Consumer Price Index for Industrial workers and accordingly it was last revised w.e.f. 01.10.2021. Statement showing increased rates of wages on account of revision in VDA from 01.04.2021 to 01.10.2021 is at Annexure 'A'.**

**\***

**\*\*\*\*\***

**ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (c) OF LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 1176 FOR 06.12.2021.**

Statement showing increased rates of wages on account of revision in VDA from 01.04.2021 to 01.10.2021

Name of Scheduled Employment	Category of Worker	Rates of wages including V.D.A per day (in Rs.)					
		Area-A		Area-B		Area-C	
		As on 01.04.2021	As on 01.10.2021	As on 01.04.2021	As on 01.10.2021	As on 01.04.2021	As on 01.10.2021
1. Agriculture	Unskilled	411	417	375	380	372	377
	Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	449	455	413	419	379	384
	Skilled/Clerical	488	495	449	455	412	418
	Highly Skilled	540	547	502	509	449	455
2. Stone Mines	1. Excavation & removal of over burden with 50 meters lead/1.5 meters lift (Per 2.831 cubic meters/100 cubic feet):						
		As on 01.04.2021			As on 01.10.2021		
	(a) Soft Soil	435			441		
	(b) Soft Soil with Rock	654			663		
	(c) Rock	866			878		
	2. Removal and Staking of rejected stones with 50 meters lead 1.5 meters lift (Per 2.831 cubic meters/100 cubic feet):	349			354		
	3. Stone breaking or Stone Crushing for the stone size (Per truck load of 5.662 cubic meters/200 cubic feet):						
	(a) 1.0 inch to 1.5 inches	2666			2701		
	(b) Above 1.5 Inches to 3.0 Inches	2280			2310		
	(c) Above 3.0 Inches to 5 Inches	1338			1356		
	(d) Above 5.0 Inches	1099			1114		
			Area-A		Area-B		Area-C
		As on 01.04.2021	As on 01.10.2021	As on 01.04.2021	As on 01.10.2021	As on 01.04.2021	As on 01.10.2021
3. Sweeping and Cleaning*	Unskilled	645	654	539	546	431	437
4. Watch and Ward	Without Arms	784	795	714	724	609	617
	With Arms	853	864	784	795	714	724

5. Loading and Unloading#	Unskilled	645	654	539	546	431	437	
6. Construction^	Unskilled	645	654	539	546	431	437	
	Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	714	724	609	617	505	512	
	Skilled/Clerical	784	795	714	724	609	617	
	Highly Skilled	853	864	784	795	714	724	
7. Non-Coal Mines <sup>s</sup>		Above Ground			Below Ground			
		As on 01.04.2021		As on 01.10.2021		As on 01.04.2021		As on 01.10.2021
	Unskilled	431		437		539		546
	Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	539		546		645		654
	Skilled/Clerical	645		654		752		762
	Highly Skilled	752		762		840		851

\*Employees engaged in the employment of Sweeping and Cleaning excluding Activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993.

#Employees engaged in the employment of Loading and Unloading in (i) Goods Sheds, Parcel Offices of Railways; (ii) Other Goods Sheds, Godowns, Warehouses and other similar employments; (iii) Docks and Ports; and (iv) Passengers Goods and Cargo Carried out at Airports (Both International and Domestic).

^Employees engaged in the employment of construction or maintenance of Roads or Runways or in Building Operations including laying down Underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph and Overseas Communication Cables and similar other Underground Cabling Work, Electric Lines, Water Supply Lines and Sewerage Pipe Lines.

\$Employees engaged in the employment of Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines, Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate and Magnetite Mines.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1176

सोमवार, 06 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण, 1943 (शक)

न्यूनतम वेतन में वृद्धि

1176. श्री डॉ. जी.रणजीत रेड्डी:  
डॉ. वेंकटेश नेता बोरालाकुंता:  
श्री दयाकर प्रसुनूरी:  
श्रीमती कविता मलोथू:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय एक वर्ष के लिए न्यूनतम वेतन में अनिवार्य वृद्धि को टालने को उचित ठहराता है;
- (ख) क्या यह 15 करोड़ कामगारों को प्रभावित करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या इससे श्रमिकों को 7500 करोड़ रुपये की हानि होती है चूंकि यह राशि उन्हें न्यूनतम वेतन में वृद्धि के रूप में मिलती ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी के संशोधन को टाला नहीं गया है। केंद्र सरकार, केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों में प्रत्येक पांच वर्ष में संशोधन करती है जैसा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत तय किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मूल दर को अंतिम बार वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था। इसके अतिरिक्त, मुद्रास्फीति से न्यूनतम मजदूरी को संरक्षित करने के लिए, केंद्र सरकार, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष हर छह महीने में 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्ती मंहगाई भत्ते (वीडीए) को संशोधित करती है और तदनुसार, इसे अंतिम बार 01.10.2021 को संशोधित किया गया था। दिनांक 01.04.2021 से 01.10.2021 तक वीडिए में संशोधन के कारण बढ़ी हुई मजदूरी की दरों को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-‘क’ पर है।

\*

\*\*\*\*\*

दिनांक 06.12.2021 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1176 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 01.04.2021 से 01.10.2021 तक वीडोए में संशोधन के कारण मजदूरी की बढ़ी हुई दरों को दर्शाने वाला विवरण।

अनुसूचित नियोजन का नाम	कामगार की श्रेणी	प्रतिदिन परिवर्ती मंहगाई भत्ते सहित मजदूरी की दरें (रुपये में)					
		क्षेत्र-क		क्षेत्र ख		क्षेत्र ग	
		01.04.2021 की स्थिति के अनुसार	01.10.2021 की स्थिति के अनुसार	01.04.2021 की स्थिति के अनुसार	01.10.2021 की स्थिति के अनुसार	01.04.2021 की स्थिति के अनुसार	01.10.2021 की स्थिति के अनुसार
1. कृषि	अकुशल	411	417	375	380	372	377
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	449	455	413	419	379	384
	कुशल/लिपिकीय	488	495	449	455	412	418
	अतिकुशल	540	547	502	509	449	455
2. पत्थर खान	1. उत्खनन एवं 50मीटर लीड/1.5मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में (प्रति 2.831 क्यूबिक मीटर/100 क्यूबिक फीट):						
		01.04.2021 की स्थिति के अनुसार		01.10.2021 की स्थिति के अनुसार			
	(क) नरम मिट्टी	435		441			
	(ख) पत्थर सहित नरम मिट्टी	654		663			
	(ग) कंकड़	866		878			
	2. हटाने एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छाटे गये पत्थरों को जमा करने में (प्रति 2.831 क्यूबिक मीटर/100 क्यूबिक फीट):	349		354			
	3. एक समान आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए (प्रति ट्रक 5.662 क्यूबिक मीटर/200 क्यूबिक फीट लोड):						
	(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच	2666		2701			
	(ख) 1.5 इंच से ऊपर 3.0 इंच तक	2280		2310			
	(ग) 3.0 इंच से ऊपर 5.0 इंच तक	1338		1356			
	(घ) 5.0 इंच से ऊपर	1099		1114			
			क्षेत्र-क		क्षेत्र ख		क्षेत्र ग
01.04.2021 की स्थिति के अनुसार			01.10.2021 की स्थिति के अनुसार	01.04.2021 की स्थिति के अनुसार	01.10.2021 की स्थिति के अनुसार	01.04.2021 की स्थिति के अनुसार	01.10.2021 की स्थिति के अनुसार
3. झाड़ू लगाना एवं सफाई करना	अकुशल	645	654	539	546	431	437

4. पहरा एवं निगरानी	बिना शस्त्र के	784	795	714	724	609	617
	सशस्त्र सहित	853	864	784	795	714	724
5. लादना एवं उतारना <sup>#</sup>	अकुशल	645	654	539	546	431	437
6. निर्माण <sup>^</sup>	अकुशल	645	654	539	546	431	437
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	714	724	609	617	505	512
	कुशल/लिपिकीय	784	795	714	724	609	617
	अति कुशल	853	864	784	795	714	724
7. गैर-कोयला खानें <sup>\$</sup>		भूमि के ऊपर			भूमि के नीचे		
		01.04.2021 की स्थिति के अनुसार	01.10.2021 की स्थिति के अनुसार	01.04.2021 की स्थिति के अनुसार	01.10.2021 की स्थिति के अनुसार		
	अकुशल	431	437	539	546		
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	539	546	645	654		
	कुशल/लिपिकीय	645	654	752	762		
	अति कुशल	752	762	840	851		

\*हाथ से मल साफ करने हेतु नियोजन और सूखे शौचालयों का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत निषिद्ध कार्यों को छोड़कर झाड़ू लगाने एवं सफाई करने के कार्य संबंधी नियोजन में लगे कर्मचारी।

# एयरपोर्ट्स (अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू दोनों) पर (i) रेलवे के गुड्स शेड्स, पार्सल कार्यालय; (ii) अन्य गुड्स-शेड्स, गोदामों, वेयर हाउसों एवं अन्य ऐसे नियोजन; (iii) गोदी एवं पत्तन; और (iv) यात्री गुड्स एवं कार्गो लादने एवं उतारने संबंधी कार्य के नियोजन में लगे कर्मचारी।

<sup>^</sup>निर्माण अथवा सड़कों का अनुरक्षण अथवा रनवे अथवा भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा विदेशी दूरसंचार से जुड़े तारों को बिछाने सहित भवन कार्य एवं अन्य समरूप भूमिगत तार लगाने बिजली की लाइन, जल आपूर्ति की लाइन तथा सिवरेज पाइप लाइनों के कार्य में लगे कर्मचारी।

<sup>\$</sup>जिप्समखान, बेराइट्सखान, बाक्साइटखान, मैग्नीज, चीनीमिट्टी, केनाइट, तांबा, क्ले, मैंगनेसाइट, व्हाईटक्ले, पत्थर, स्टीएटाइट खान (खानों में उत्पन्न होने वाले साबुन, पत्थर एवं पाउडर सहित), ऑशर, एसबेसटस, फायरक्ले, क्रोमाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टज, सिलिका, ग्रेफाइट, फेल्सपर, लेटेराइट, डोलोमाइट, रेडआक्साइड, वोल्फ्रेम, लौह-अयस्क, ग्रेनाइट, रॉकफास्फेट, हेमाटाइट, मार्बल एवं कैल्साइट, यूरेनियम, अभ्रक, लिग्नाइट, ग्रेवल, स्लेट तथा मैग्नेटाइट खान के नियोजन में कार्यरत कर्मचारी।

\*\*\*\*